SCHOOL CHOICE

Fund Students, Not Schools!

# आरटीई के तहत कमजोर तबके के लिए 25% आरक्षण लागू करना:

# एक मॉडल का विकास

# लागू किया जाने वाला मॉडल

पहचान (Identification)

जागरूकता (Awareness)

प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

अदायगी (Reimbursement)

रिकॉर्ड रखना (Maintaining Record)

छात्रों का ट्रांसफर (Transfer of Students)

पढ़ाई का मूल्यांकन (Learning Assessment)

# 25% छात्रों की पहचान और गणना

- **"सुविधाहीन और कमजोर तबके"** के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित

- 25% आरक्षणः सुविधाहीन या कमजोर तबके का कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है, यदि उसके परिवार की सालाना आमदनी निर्धारित नियम के तहत कम है

- सरकारी सहायता नहीं पाने वाला कोई स्कूल एक निश्चित संख्या में छात्रों को किसी अन्य कानून के तहत अगर पहले से ही मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान के दायरे में आता है तो उस स्कूल को छात्रों की संख्या 25% के हिसाब से समायोजित (adjust) करनी होगी

# आमदनी का प्रमाण (Income Proof)

- कोई भी सरकारी दस्तावेज जैसे आय का प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, नरेगा जैसी योजना के तहत जारी रोजगार कार्ड, दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट कार्ड आदि

- उम्मीदवार छात्रों के सत्यापन (verification) की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी, कैसे?

- विचारणीयः आय के प्रमाण-पत्र के विपरीत "बाहर रखे जाने वालों" की सूची? (आयकर चुकाने वाले, ऐसे व्यवसायी जिनका कारोबार 5 लाख रु. से अधिक है)

# घर के पास का स्कूल

(Principle of Neighbourhood)

- घर के पास के स्कूल का सिद्धांत (कक्षा 1-5 के लिए 1 कि.मी. और कक्षा 6-8 के लिए 3 कि.मी.) केवल नए स्कूलों पर लागू होना चाहिए

- यह सिद्धांत उस स्कूल में बाधा न बने जहां छात्र 25% आरक्षण के दायरे में एडमिशन पाना चाहते हैं

# 25% आरक्षण पर जागरूकता

- प्राइवेट स्कूलों मे सुविधाहीन और कमजोर तबके के छात्र प्रवेश पाना चाहें इसके लिए सरकार स्थानीय अखबारों और रेडियो पर अधिसूचना जरूर जारी करे

- प्रत्येक स्कूल 25% आरक्षण के दायरे में आने वाली सीटों की संख्या जरूर घोषित करे

- इन सीटों की संख्या के बारे में स्कूल राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जानकारी जरूर दें

# 25% आरक्षण पर जागरूकता

o स्थानीय प्रशासन/राज्य शासन अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली स्कूलों में सुविधाहीन और कमजोर तबके के छात्रों के लिए उपलब्ध 25% सीटों की संख्या संबंधी जानकारियां संग्रहित करें

o इस संपूर्ण जानकारी को वे अपने-अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही वेबसाइट पर प्रकाशित करें

o सोशल मोबिलाइजेशन और सोशल ऑडिट की भूमिका

# प्रवेश फॉर्म (Admission Form)

o शहर/कस्बे या ब्लॉक स्तर के कॉमन एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए. ये फॉर्म स्थानीय प्रशासन या राज्य शासन के दफ्तरों जैसे शिक्षा विभाग, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत आदि में निःशुल्क मिलने चाहिए

o एडमिशन फॉर्म अंग्रेजी के साथ ही स्थानीय भाषा में होने चाहिए और इनमें प्राथमिकता क्रम के आधार पर 10 स्कूलों के नाम सूचीबद्ध करने का विकल्प होना चाहिए

o एडमिशन फॉर्म स्थानीय प्रशासन/राज्य शासन के दफ्तरों में जमा होने चाहिए और इनकी प्राप्ति रसीद के साथ छात्र को पंजीयन संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) भी जारी करना चाहिए

# चयन प्रक्रिया- स्कूल स्तर पर लॉटरी

- यह मानते हुए कि स्कूल में सीटों की संख्या की तुलना में ज्यादा आवेदन आएंगे, स्कूल स्तर पर छात्रों का चयन पहले लॉटरी के जरिए होना चाहिए

- एक तय तारीख को सार्वजनिक स्थान पर छात्रों के पालकों और मीडिया की मौजूदगी में स्थानीय प्रशासन/राज्य शासन प्रत्येक स्कूल के लिए कम्प्यूटर लॉटरी से परिणाम निकालें

- लॉटरी से निकली लिस्ट (जिसमें वैटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची भी हो) स्थानीय प्रशासन/राज्य शासन के दफ्तरों और सभी स्कूलों में लगाई जाए

# चयन प्रक्रिया- स्कूल स्तर पर लॉटरी

o लॉटरी का दूसरा दौर उन छात्रों के लिए होना चाहिए जिन्हें प्रवेश नही मिला क्योंकि कुछ चयनित छात्र चाही गई प्राथमिकता वाले स्कूल में प्रवेश नहीं लेंगे

o ऐसी व्यवस्था हो कि आवेदक विभिन्न स्कूलों में अपनी स्थिति/रैंकिंग ऑनलाइन देख सकें. साथ ही यह जानकारी स्थानीय प्रशासन/राज्य शासन के दफ्तरों में सभी संबंधित स्कूलों में भी उपलब्ध होनी चाहिए

o हर स्कूल को 25% आरक्षित सीटों की अंतिम सूची प्रकाशित करनी चाहिए

# अदायगी/प्रतिपूर्ति (Reimbursement)

- स्कूल के बैंक अकाउंट में अदायगी प्रति छात्र आधार पर होनी चाहिए

- प्रति छात्र खर्च की गणना कुल स्कूली शिक्षा बजट (बार-बार आने वाली लागत और पूंजीगत लागत, योजनागत और गैर-योजनागत खर्च) के आधार पर होनी चाहिए

- स्थानीय शासन/राज्य सरकारों को अदायगी दो हिस्सों में की जानी चाहिए- 80% एडमिशन के समय और छात्र की पढ़ाई की मूल्यांकन रिपोर्ट आने के बाद साल के अंत में 20 फीसदी

# अदायगी/प्रतिपूर्ति

- राज्य के शिक्षा विभाग को प्रत्येक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सार्वजनिक रूप से एक सूची बना करन रखनी चाहिए. इस सूची को हमेशा अपडेट रखना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि किन छात्रों ने पढ़ाई जारी रखी है और स्कूलों को अदायगी कर दी गई है

- सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की भूमिका और एनसीपीसीआर

# स्कूल ट्रांसफर

- शैक्षणिक सत्र के दौरान एक छात्र उन स्कूलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है जहां 25% आरक्षित सीटें नहीं भरी गई हैं. यदि छात्र के लिए कोई अनुकूल स्कूल नहीं है तो वह सरकारी स्कूल में स्थानांतरित हो सकता है, अगले वर्ष लॉटरी के लिए आवेदन कर सकता है

- हर साल स्कूल को यह समीक्षा करनी चाहिए कि 25% कोटा पूरा हुआ या नहीं. अगर सीटें खाली हैं तो इनकी जानकारी प्रकाशित की जाए और उन सुविधाहीन तथा कमजोर तबके के छात्रों से पहले आवेदन आमंत्रित किए जाएं जो ट्रांसफर चाहते हैं

# धन्यवाद

SCHOOL CHOICE

Fund Students, Not Schools!